



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A3-36(2)/2018

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 1814 के०यू०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 04 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस, लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में 120 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलपति की संस्तुति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल।	बी०सी०ए०	120 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों को पूर्ण करने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- संस्थान के मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत संस्थान को विषयांकित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में यू०जी०सी०/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगी, ताकि अपूर्ण मानकों के कारण अध्ययनरत् छात्रों के हित प्रभावित न हों।

3- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर ससमय मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2078 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A3-36(2)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
03. प्रबन्धक, आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल।
04. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उपसचिव।